न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 46/2015 शस्त्र अधिनियम्
GCMS No. 2015/00015

इकबालसिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 77 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

———अपीलान्ट

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर जरिये राजकीय अभिभाषक।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री सुरेश मोहता अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष की ओर से।

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

निर्णय

दिनांकः 21.08.2024

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 14.10.2015 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने पिता श्री हरनेक सिंह पुत्र आत्मा सिंह के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 400/69 एसडीएम श्रीगंगानगर एवं आउट साइड नंबर 458/74 डीएम श्रीगंगानगर, जिस पर शस्त्र 12 बोर राईफल एसबीबीएल दर्जशुदा है। अपीलांट द्वारा वृद्ध प्रकरण में अपने पिता के नाम से दर्ज उक्त लाइसेंस को अपने नाम से जारी करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया। के नवीनीकरण बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 02.09.2022 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.10.2015 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांट के आवेदन को खारिज कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त बीकानेर

3. प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी ।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलांट ने अपने पिता श्री हरनेक सिंह पुत्र आत्मा सिंह के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 400/69 एसडीएम श्रीगंगानगर एवं आउट साइड नंबर 458/74 डीएम श्रीगंगानगर को बतौर वारिस (वृद्ध प्रकरण) अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी कर उक्त राइफल अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज करने हेतु आवेदन किया। अपीलांट द्वारा अपने पिता अनुज्ञापत्रधारी श्री हरनेक सिंह की वृद्धावस्था के कारण अपने नाम दर्ज उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज 12 बोर एसबीबीएल गन को अपने पुत्र अपीलांट श्री इकबाल सिंह के नाम अन्तरित करने का अपना शपथ–पत्र दिनांक 25.09.2012 को प्रस्तुत किया। अपीलांट के प्रार्थना पत्र के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर/पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी.(ए.टी.सी.) राजस्थान जयपुर/अति. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशा) जोन, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट चाही गई। अपीलांट के संबंध में अति. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशा) जोन, श्रीगंगानगर ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही की रिपोर्ट की, पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी.(ए.टी.सी.) राजस्थान जयपुर ने किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त नहीं होने की रिपोर्ट की तथा थानाधिकारी पुलिस थाना घमूड़वाली जिला श्रीगंगानगर ने भी लाइसेंस दिया जाना उचित बताया किन्तु जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.02.2014 में मुकदमा नंबर 67/6.8.87 अंतर्गत धारा 323, 452, 147, 148, 148 भा.द.स. एफ.आर. अदम वकू एफ.आर. 4.5.88 का हवाला देकर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदक को लाइसेंस दिया जाना अनुचित बताया, जबकि उक्त मुकदमें में एफ.आर. लग चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर ने पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट दिनांक 21.02.2014 के आधार पर आवेदन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो कि सही नहीं है। अपीलांट एक शांतिप्रिय नागरिक है व अपीलांट को जान व माल की रक्षा हेतु भी शस्त्र की आवश्यकता हैं। अपीलांट द्वारा आर्म्स लाइसेंस के किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2015 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी कर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट के पिता हरनेक सिंह के शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज बन्दूक को अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

6. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2015 जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2014, जिसमें अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना अनुचित बतलाया है, के आधार पर पारित किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने पूर्व में अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा नंबर 67/6.8.87 अंतर्गत धारा 323, 452, 147, 148, 148 भा.द.स. एफ. आर. अदम वकू एफ.आर. 4.5.88 दर्ज होना अवगत कराया। जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर ने जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2014, जिसमें अपीलांट के विरूद्ध पूर्व में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किये जाने की अनुशंषा की है, के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2015 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर का अपीलाधीन ओदश दिनांक 14.10.2015 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

8. तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर